10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10रु. Rs. दस रुपये TEN RUPEES
10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 निगरानी – छतरपुर
निगरानी-4742/2018/छतरपुर/भू.रा.

1. श्रीमती संतोषी पत्नी राकेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम इमलहा तह. राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. श्रीमती कस्तूरी पत्नी नाथूराम गुप्ता निवासी ग्राम दुपारिया तह. राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... निगरानीगणकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चन्द्रनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र) के प्रकरण कमांक 0003/अ–6–अ/2015–16 श्रीमती संतोषी आदि / म.प्र. शासन आदेश दिनांक 07.05.2018 जिसकी प्रमाणित प्रति 17.07.2018 को प्राप्त हुई ।

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

यह कि, विवादित आराजी को निगरानीकर्ता ने द्वारा रजिस्ट्री के दिनांक 26.10.2009 को कय की, के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम इन्द्राज है। परन्तु कम्प्यूटर में नाम इन्द्राज नहीं किया। की कार्यवाही के खिलाफ नायब

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 108
पृष्ठ क्र. 1 से 12
दिनांक 25-07-18
हस्ताक्षर व नाम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4742/2018/छतरपुर/भू.रा. संतोषी विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदिका संतोषी की ओर से अभिभाषक श्री कुवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार चन्द्रनगर तहसील राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 0003/अ-6-अ/2015-16 ~~अप्रील~~ में पारित आदेश दिनांक 07-05-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

(3)

4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

25.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य